

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
ऊर्जा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन,

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक 23 फरवरी,2018

विषय: बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे के दृष्टिगत ऊर्जा संबंधी कार्यो हेतु वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे के दृष्टिगत बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु ऊर्जा विभाग की संस्तुति पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु. 3340.31 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु. 3340.31 लाख (रूपये तैतीस करोड चालीस लाख इक्तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये लिए कार्यदायी संस्था दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० होगी:-

(लाख रु. में)

	जनपद	विद्युत कार्य हेतु आवश्यक सामग्री की लागत	कार्टेज एवं इरेक्शन चार्ज@15%	योग (3+4)	कन्टीजेन्सी @2%, लेबर सेस @1%,टी एण्ड पी @1.5% कुल (@4.5%)	कुल लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झाँसी	255.10	38.27	293.37	13.20	306.57	306.57
2	ललितपुर	676.06	101.41	777.47	34.99	812.46	812.46
3	जालौन	464.10	69.62	533.72	24.02	557.74	557.74
4	बांदा	453.88	68.08	521.96	23.49	545.45	545.45
5	चित्रकूट	273.14	40.97	314.11	14.13	328.24	328.24
6	हमीरपुर	335.14	50.27	385.41	17.34	402.75	402.75
7	महोबा	322.11	48.32	370.43	16.67	387.10	387.10
	<b>कुल योग</b>	<b>2779.53</b>	<b>416.94</b>	<b>3196.47</b>	<b>143.84</b>	<b>3340.31</b>	<b>3340.31</b>

- 1- प्रायोजना हेतु अनुमोदित धनराशि उन्हीं मदों में व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा जिन मदों हेतु स्वीकृति की गई है।
- 2- कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशा. विभाग की होगी। प्र.विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो तथा भविष्य में प्रायोजना का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 3- प्रशा. विभाग द्वारा समय-समय पर भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रवधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जायेगा।
- 6- उक्त कार्य की वर्तमान व भविष्य में अन्य योजनाओं में पूनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- 7- प्रश्नगत स्वीकृति बजट प्राविधान एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- 8- कार्य द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
- 9- जिस फीडर पर कार्य कराया जाना है वे इसी योजना में कराये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह किसी अन्य योजना तथा आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई आदि में सम्मिलित न हो।
- 10- कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मासिक समीक्षा बैठक करेंगे एवं निदेशक (तकनीकी) को आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- 11- विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु यदि कोई कार्य इस योजना की प्रत्याशा में करा लिया जाता है तो वह इसी योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। स्थान, मात्रा व कार्य में 10 से 15 प्रतिशत का अंतर हो सकता है।
- 12- जो योजनायें पूर्व से चल रही हैं उनमें कार्य की द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। अप्रेजल समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों को ही कराया जायेगा।
- 13- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये प्रबन्ध निदेशक 30प्र0 जल निगम, द्वारा निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु एक अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा। स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को निम्न सूचनायें अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी:-
  - अ- नामित अधिकारी का नाम/पदनाम
  - ब- नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी  
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)
  - स- परियोजना प्रारम्भ होने की अनुमानित/वास्तविक तिथि
  - द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि
- 14- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/अनापतियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरण/क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
- 15- यदि आवश्यक हो तो ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्चोरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तद् विषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 16- कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यों का विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
  - 17- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
  - 18- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय रखते हुये समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।
  - 19- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर/ पीएलए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
  - 20- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2018 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 21- ऊर्जा विभाग द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
  - 22- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
  - 23- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।
  - 24- परिसम्पत्ति के सृजन के उपरांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा।
  - 25- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
  - 26- निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
  - 27- जी0एस0टी0 मद में देय धनराशि वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य की जायेगी।
  - 28- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा
  - 29- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - 30- नियमानुसार सेंटेज चार्ज के संबंध में आश्वस्त हो लेंगे।
- 2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्ष-4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-235/दस-2017 दिनांक 23 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आर.एन.एस.यादव )  
विशेष सचिव।

संख्या:8/2018/215(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा/सिंचाई/लघु सिंचाई।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट।
- 7- जिलाधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/हमीरपुर।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/हमीरपुर।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/लखनऊ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 10- उप निदेशक अर्थ एवं संख्या, झांसी/चित्रकूट।
- 11- गार्ड फाईल।
- 12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
- 13- राज्य योजना आयोग-1
- 14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/हमीरपुर।

आज्ञा से ,

( आर.एन.एस.यादव )  
विशेष सचिव।